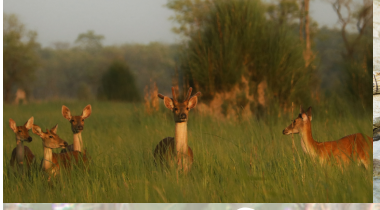

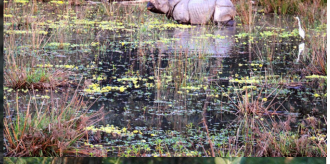

''प्रकृति तथा सतत् विकास के साथ सामंजस्य''

(Harmony with Nature and Sustainable Development)

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025

Harmony with nature and sustainable development

उत्तर प्रदेश सरकार

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
U.P. STATE BIODIVERSITY BOARD

LiFE
Lifestyle for Environment

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

दृष्टि:

समाज को शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन एवं स्थानीय समुदाय को आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु–

- जैव विविधता का संरक्षण व विकास।
- स्थानीय परम्परा, ज्ञान व संस्कृति का सम्मान।
- जैव संसाधनों के अवयवों के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों का उचित व साम्यपूर्ण वितरण।
- जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण।

Vision:

To ensure clean air, pure water, adequate and nutritious food to the society as well as livelihood to the local community-

- Conservation and development of biological diversity.
- Respect for local traditions, knowledge and culture.
- Fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of bio-resources.
- Effective control of biodiversity degradation.

‘‘प्रकृति तथा सतत् विकास के साथ सामंजस्य’’

(Harmony with Nature and Sustainable Development)

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025

Harmony with nature and sustainable development

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

लखनऊ

INTERNATIONAL DAY
FOR BIODIVERSITY 2025
Harmony with nature and sustainable development

प्रकाशक

©
इस पुस्तिका के किसी भी अंश का प्रकाशन करने
से पूर्व प्रकाशक की लिखित अनुमति अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
ईस्ट विंग, तीसरी मंजिल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010, उ.प्र., भारत, दूरभाष : 0522 4006746
ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com
वेबसाईट : www.upsbdb.org

प्रकाशन वर्ष : 2025

मुद्रकः
आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, 33 नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
ईमेलः armyprintingpress@gmail.com

जैव विविधता क्या है

जैव विविधता में पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवन की किस्मों अर्थात् स्थलीय, समुद्री और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है। इसमें तीन स्तरों पर विविधता शामिल हैः आनुवंशिक विविधता (प्रजाति के अंदर), प्रजाति विविधता (प्रजातियों के बीच) और पारिस्थितिक तंत्र विविधता) हमारा देश जैव विविधता की दृष्टि से विश्व क 12 वृहद् विविधतापूर्ण (मेगा डाईवर्सिटी) देशों में से एक है। विश्व में 2.5 प्रतिशत भू–क्षेत्र वाला भारत वैश्विक प्रजातियों में से 7.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता

धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय की औषधि, भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यबोध बनाए रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है।

जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन, जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का साम्यापूर्ण वितरण हेतु जैव संसाधनों के उपयोग व पहुँच को विनियमित करने, जैव–विविधता से सम्बन्धित स्थानीय समुदायों के ज्ञान का आदर व सुरक्षा एवं विनाश की ओर जाने वाली प्रजातियों का संरक्षण व पुनर्स्थापना सहित विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित, 2023) प्रख्यापित किया गया।

जैव विविधता संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलन व सन्धियां

क्रम सं.	वर्ष	सम्मेलन / समझौता	स्थान	मुख्य निर्णय
1	1992	पृथ्वी सम्मेलन	रियो डि जेनरो (ब्राजील)	• कन्वेन्शन ऑन बायोलॉजिक डाईवर्सिटीः **मुख्य उद्देश्यः–** • जैव विविधता का संरक्षण • जैव विविधता के अवयवों का पोषणीय उपयोग और • आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाना
2	2000	कार्टाजीना प्रोटोकॉल	माण्ट्रियल, कनाडा	जैव विविधता को आधुनिक जैव तकनीक के कारण जीवित संशोधित जीव (लिविंग मॉडीफाईड आर्गेनिज्म) द्वारा संभावित खतरों से सुरक्षित करना।
3	2010	नगोया प्रोटोकॉल (सी ओ पी 10)	नगोया जापान	नगोया प्रोटोकॉल को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उद्भूत लाभों के साम्यापूर्ण व न्यायसंगत बँटवारे के लिए अपनाया गया।
4	2022	कुनमिंग–माण्ट्रियल ग्लोबल बायोडाईवर्सिटी फ्रेमवर्क (सी ओ पी 15)	कुनमिंग–माण्ट्रियल (चाईना–कनाडा)	• वर्ष 2050 तक प्राप्त करने हेतु कुनमिंग–माण्ट्रियल ग्लोबल बायोडाईवर्सिटी फ्रेमवर्क में 4 दीर्घकालीन लक्ष्य (गोल) निर्धारित किए गए हैं।

				• जैव विविधता के समक्ष उत्पन्न खतरों को न्यून करने, संवहनीय उपयोग व लाभ में साझेदारी के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं क्रियान्वयन व मुख्य धारा में लाने हेतु उपकरण व समाधान हेतु फ्रेमवर्क में वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 23 अल्पकालीन वैश्विक लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारित किए गए हैं। • निर्णय, निर्माण प्रक्रिया में जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को मुख्य धारा में लाना है। • यह घोषणा जैव विविधता की वर्तमान क्षति को कम करने एवं वर्ष 2030 तक जैव विविधता को पुनः प्राप्ति के मार्ग पर लाने के लिए की गई है। • मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में संरक्षण के महत्व की पहचान करना। • अधिक संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल आपूर्ति श्रृखंला का निर्माण करना। • समस्त पक्षों विशेषकर विकसित देशों को कुमनिंग मॉण्ट्रियल ग्लोबल बायोडाईवर्सिटी फ्रेमवर्क के पूर्णतया क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन, क्षमता निर्माण, तकनीकी व वैज्ञानिक सहयोग एवं तकनीकी हस्तान्तरण तक पहुँच कराने सहित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाना।

उक्त के साथ ही कार्बन उत्सर्जन व जलवायु परिवर्तन की दर में कमी करने हेतु पेरिस समझौता व ग्लासगों सम्मेलन सहित विभिन्न सम्मेलन व समझौते हुए।

कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाईवर्सिटी (सी.बी.डी.) व नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रख्यापित अधिनियम/नियम/विनियम

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित, 2023)
- जैव विविधता नियम, 2004 (यथा संशोधित, 2024)
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010
- जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, (यथा संशोधित 2025)

जैव विविधता प्रकृति की आन बनाए रखना इसकी शान

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड नामक बोर्ड की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18) की धारा–22 की उप धारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या 1498/14–5–2006–57/2006 दिनाँक 20–09–06 द्वारा की गयी।

जैव विविधता अधिनियम (यथा संशोधित, 2023) के सुसंगत प्राविधान

22. Establishment of State Biodiversity Board (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established by that Government for the purposes of this Act, a Board for the State to be known as the…… (name of the State) Biodiversity Board.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no State Biodiversity Board shall be constituted for a Union territory and in relation to a Union territory, the National Biodiversity Authority shall exercise the powers and perform the functions of a State Biodiversity Board for that Union territory:

Provided that in relation to any Union territory, the National Biodiversity Authority may delegate all or any of its powers or functions under this sub-section to such person or group of persons or body as the Central Government may specify.

(3) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue and be sued.

(4) The Board shall consist of the following members, namely: -

(a) a Chairperson, who shall be an eminent person having adequate knowledge, expertise and experience in the conservation and sustainable use of biological diversity and in matters relating to fair and equitable sharing of benefits, to be appointed by the State Government;

(b) not more than seven ex officio members to be appointed by the State Government to represent the concerned departments of the State Government, including departments dealing Panchayati Raj and tribal affairs; 19

(c) not more than five non-official members to be appointed from amongst experts, including legal experts, scientists having special knowledge, expertise and work experience in matters relating to conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

(5) The head office of the State Biodiversity Board shall be at such place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

23. Functions of State Biodiversity Board. - The functions of the State Biodiversity Board shall be to- (a) advise the State Government on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilisation of biological resources or traditional knowledge associated thereto, in conformity with the regulations or guidelines if any, issued by the Central Government or the National Biodiversity Authority;

(b) regulate any activity referred to in section 7 by granting or rejecting approvals; (ba) determine the fair and equitable sharing of benefits as provided under the regulations made in this behalf by the National Biodiversity Authority while granting approvals;

(c) perform such other functions as may be necessary to carry out the provisions of this Act or as may be prescribed by the State Government.

24. Power of State Biodiversity Board to restrict certain activities violating the objectives of conservation, etc.-

(1) Any person other than the person referred to in sub-section (2) of section 3, intending to undertake any activity covered under section 7, shall give prior intimation to the State Biodiversity Board, in such form as may be prescribed by the State Government.

(2) If the State Biodiversity Board is of the opinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity of fair and equitable sharing of benefits arising out of such activity, it may by order, restrict or reject such activity:

Provided that no such order or rejection shall be made without giving an opportunity of being heard to the person concerned.

(3) The State Biodiversity Board shall place in public domain the details of every approval granted or rejected under this section.

दृष्टि

समाज को शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन एवं स्थानीय समुदाय को आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाने हेतुः

- जैव विविधता का संरक्षण व विकास
- स्थानीय परम्परा, ज्ञान व संस्कृति का सम्मान
- जैव संसाधनों के अवयवों के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों का उचित व साम्यपूर्ण वितरण
- जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण

प्रदेश की जैव विविधता

वन जैव विविधता

प्रदेश, उत्तर में हिमालय या दक्षिण में विन्ध्य श्रृंखला से निकलने वाली नदियों से अभिसिंचित है। गंगा तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ–यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा तथा गण्डक नदियां हिमालय के शाश्वत हिमखण्डों से निकलती हैं। चंबल, बेतवा और केन नदी विन्ध्य श्रृंखला से निकलकर यमुना में मिलने से पूर्व प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग को सींचती हुई प्रदेश की सीमा से बाहर बिहार प्रदेश में गंगा में मिलती है।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 16710 वर्ग कि.मी. (भौगोलिक क्षेत्र का 6.91 प्रतिशत) एवं वनावरण व वृक्षावरण 23996.72 वर्ग कि.मी. (भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत) है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के सन्दर्भ में किए गए मानचित्रण के अनुसार प्रदेश में पाए जाने वाले 27 प्रकार के वनों को पाँच वन प्रकार समूहों में विभक्त किया गया है। इनमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (50.66 प्रतिशत) एवं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती (19.68 प्रतिशत) वन प्रकार समूह प्रमुख हैं।

प्रदेश का 2,40,928 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र व 09 कृषि जलवायु क्षेत्रों (एग्रो क्लाईमेटिक जोन)– भाबर व तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, केन्द्रीय मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं विन्ध्य क्षेत्र में वर्गीकृत हैं।

साल (शोरिया रोबस्टा) के घने वन, घास के मैदान शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) की बहुलता वाले घास युक्त वन, सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस), खैर (अकेसिया कटैचू), यूकेलिप्टस, जामुन (साइजिजियम क्यूमिनाई), दलदली क्षेत्र, दीमक की बाम्बियों से आच्छादित क्षेत्र, 550 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, 150 से अधिक तितली प्रजातियाँ, आठ गिद्ध प्रजातियाँ, वन क्षेत्रों में सेराविड्स की पाँच प्रजातियां–चीतल (एक्सिस एक्सिस), साँभर (रूसा यनीक्लोर), मुंतिजैक (मुन्टिजैक), पाड़ा (एक्सिस पोरसिन्स) तथा बारासिंघा (रूसेरवस डुवाउसेली), सर्वाधिक संकटापन्न पक्षी बंगाल फ्लोरिकेन (होयूबबारोप्सिस बेंगालेंसिस), हिस्पिड हेयर, सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ, एक सींग वाला गैंडा, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय धरोहर हाथी सहित विभिन्न प्राणि व पादप प्रजातियाँ प्रदेश की वन जैव विविधता को समृद्धि प्रदान कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान (दुधवा राष्ट्रीय उद्यान), चार टाईगर रिजर्व (दुधवा टाईगर रिजर्व, पीलीभीत टाईगर रिजर्व, अमानगढ़ टाईगर रिजर्व एवं रानीपुर टाईगर रिजर्व), दो हाथी रिजर्व (शिवालिक हाथी रिजर्व व तराई हाथी रिजर्व), 10 रामसर साइट्स, एक कंजर्वेशन रिजर्व (ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व, मेजा प्रयागराज) एवं 26 वन्यजीव विहारों, में वन जैव विविधता पल व बढ़ रही है। प्रदेश के 4 प्राणि उद्यानों (नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर, शहीद अशफाक उल्लाह खाँ प्राणि उद्यान, गोरखपुर एवं इटावा लॉयन सफारी, इटावा) व एक जैव विविधता विरासत स्थल (घड़ियाल पुनर्वास एवं प्रजनन केन्द्र, कुकरैल, लखनऊ) जैव विविधता के एक्स सीटू संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव विहारों से प्रदेश का 6313.46 वर्ग कि.मी. अर्थात् प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 38 प्रतिशत एवं भौगोलिक क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत भाग आच्दादित है। वन क्षेत्र के सापेक्ष संरक्षित क्षेत्र, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है।

प्रदेश में लगभग 11.45 लाख हेक्टेयर (भौगोलिक क्षेत्र का 4.8 प्रतिशत) वेटलैण्ड्स से आच्छादित है। प्रदेश के वेटलैण्ड्स मगर, घड़ियाल, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राज्य पशु बारासिंघा, राज्य पक्षी सारस, स्वच्छ जल की कछुओं की 14 प्रजातियों एवं शीत ऋतु में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका रूस, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, म्यांमार, चीन व यूरोप के विभिन्न देशों से आने वाले इंडियन स्कीमर, बार हेडेड गूज, रूडीशेल्डक् रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, मलार्ड, कुरंजा, ग्रे लेग जैसे अतिथि पक्षियों के प्रिय वास स्थल हैं।

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के 10 वेटलैण्ड्स का प्रबन्धन रामसर साईट के रूप में किया जा रहा है

क्रम सं.	वेटलैण्ड का नाम	रामसर साईट घोषित होने का वर्ष	जनपद का नाम
1	अपर गंगा रीवर (बृज घाट से नरौरा)	2005	बुलन्दशहर
2	नवाबगंज पक्षी विहार	2019	उन्नाव
3	पार्वती अरगा पक्षी विहार	2019	गोण्डा
4	समान पक्षी विहार	2019	मैनपुरी
5	समसपुर पक्षी विहार	2019	रायबरेली
6	साण्डी पक्षी विहार	2019	हरदोई
7	सरसई नावर झील	2019	इटावा
8	सूर सरोवर (कीठम झील पक्षी विहार)	2020	आगरा
9	हैदरपुर वेटलैण्ड	2021	बिजनौर
10	बखीरा पक्षी विहार	2022	सन्त कबीर नगर

रामसर साईट की संख्या के दृष्टिगत रामसर साईट की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु (14) के पश्चात् उत्तर प्रदेश (10) में है।

घरेलू जैव विविधता

वैश्विक मत्स्य जैव विविधता में हमारे देश का योगदान 11.72 प्रतिशत है। देश की स्वच्छ जल की मत्स्य जैव विविधता में प्रदेश की मत्स्य जैव विविधता का योगदान लगभग 12 प्रतिशत है।

प्रदेश फलोद्यानिक विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध है। अमरूद व आम की कई प्रजातियों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त है।

सब्जियों की स्थानिक किस्म/जाति में राम नगर जायंट ब्रिन्जल, जौनपुरी नेवाड़ मूली एवं महत्वपूर्ण कुकरबिट प्रजातियां में ककड़ी, चिचिंडा, पेठा, तरोई, खेकसी, खरबूज, तरबूज, कुंदरू, कद्दू, परवल, करेला, सतपुतियाँ, फ्रूट आदि प्रमुख हैं।

कृषि विविधता में गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, जौ, सांवा, मडुआ, कोदो, चीना, बाजरा व कनघुनी जैसे अनाज अरहर, चना, सोयाबीन, हरी मटर, मूंग, उड़द, लोबिया व मसूर जैसी फलीदार प्रजातियाँ सरसों, राम तिल, काला तिल, तीसी, मूँगफली, कुसुम, तिल व सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसल हैं। गन्ना प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है।

भारत में उत्पादित चावल (ओरिजा प्रजाति) विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इस फसल की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता अद्वितीय है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र–सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोण्डा व गोरखपुर में व्यापक रूप से उगाया जाने वाला 'काला नमक' चावल देश के सर्वोत्तम खुशबूदार चावलों में से एक व क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है।

पालतू पशु जैव विविधता की दृष्टि से प्रदेश का विशिष्ट स्थान है। गाय की दुधारू नस्लों में साहिवाल, शुष्क नस्लों में केनकथा, खेरीगढ़ व पंवार तथा उभय प्रयोजन नस्ल में गंगातीरी गाय प्रमुख हैं।

भदावरी नस्ल की भैंस, बकरियों की बरबरी व जमुनापारी नस्ल एवं भेड़ की मुजफ्फरनगरी व जालौनी नस्ल प्रदेश की शान है।

वृक्ष से वायु। वायु से आयु।।

विश्व देश व प्रदेश में पाई जाने वाली जैव विविधता एक दृष्टि में

पादप विविधिता

पादप साम्राज्य के समूह	विश्व में प्रजातियों की संख्या	भारत में प्रजातियों की संख्या	उत्तर प्रदेश में प्रजातियों की संख्या	विश्व के सापेक्ष उ.प्र. में प्रजातियों का प्रतिशत	भारत के सापेक्ष उ.प्र. की प्रजातियां का प्रतिशत
काई	40,000	7,182	301	0.75	4.19
कवक	72,000	14,588	935	1.29	6.40
लाईकेन्स	13,500	2,268	135	1.0	5.95
ब्रायोफाइट्स	16,600	2,451	72	0.43	2.93
टैरीडोफाइट्स	10,000	1,236	41	0.41	3.31
जिम्नोस्पर्म्स	650	69	06	0.92	8.69
एंजियोस्पर्म्स	2,50,000	17,643	1,442	0.57	8.17
योग	**4,02,750**	**45,437**	**2,932**	**0.72**	**6.45**

प्राणि विविधता

पशु साम्राज्य के समूह	विश्व में प्रजातियों की संख्या	भारत में प्रजातियों की संख्या	उत्तर प्रदेश में प्रजातियों की संख्या	विश्व के सापेक्ष उ.प्र. में प्रजातियां का प्रतिशत	भारत के सापेक्ष उ.प्र. में प्रजातियां का प्रतिशत
प्रोटोजोआ (मुक्त जीवी + परजीवी)	31,250	3,500	41	0.13	1.17
नीमाटोड (समस्त) मौलस्क	30,028	2,902	140	0.46	4.82
मौलस्क	66,535	5,169	47	0.07	0.90
आरथ्रोपोडा (इनसेक्टा)	10,20,007	63,423	1,445	0.14	2.27
आरथ्रोपोडा (अरकिन्डा)	73,451	5,850	15	0.02	0.25
पिसेस्	32,120	3,022	152	0.47	5.02
एम्फीबिया	6,771	342	25	0.36	7.30
रेप्टीलिया	9,230	526	77	0.83	14.63
एव्स	9,026	1,233	358	3.96	29.03
मैमेलिया	5,416	423	87	1.60	20.56
योग	**12,83,834**	**86,390**	**2,387**	**0.18**	**2.76**

वन जैव विविधता

घरेलू एवं पालतू जैव विविधता

जौनपुरी नेवाड़ मूली

काला नमक चावल

जयांट ब्रिन्जल

भदावरी भैंस

जमुनापारी बकरी

पोवांर गाय

जैव विविधता विरासतीय स्थल (बी एच एस)

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–5 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1348/14–5–2016–15/2016 दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा **''घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र, कुकरैल, लखनऊ''** आरक्षित वन को उत्तर प्रदेश राज्य का जैव विविधता विरासतीय स्थल अधिसूचित किया गया।

इंडोपिपटाडेनिया आउढेंसिस *(Indopiptadenia oudhensis)* प्रजाति

भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2009 द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुँची इंडोपिपटाडेनिया आउढेंसिस *(Indopiptadenia oudhensis)* प्रजाति के संग्रहण को शर्तों के अधीन प्रतिशिद्ध और विनियमित किया गया है।

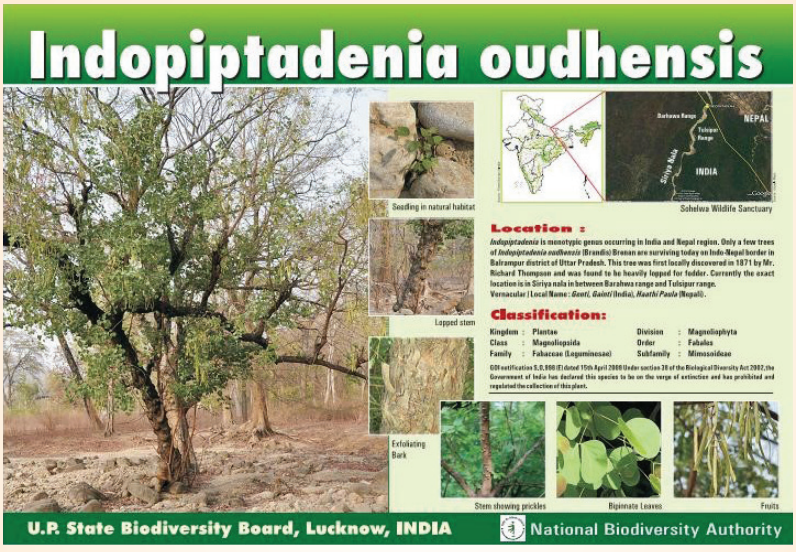

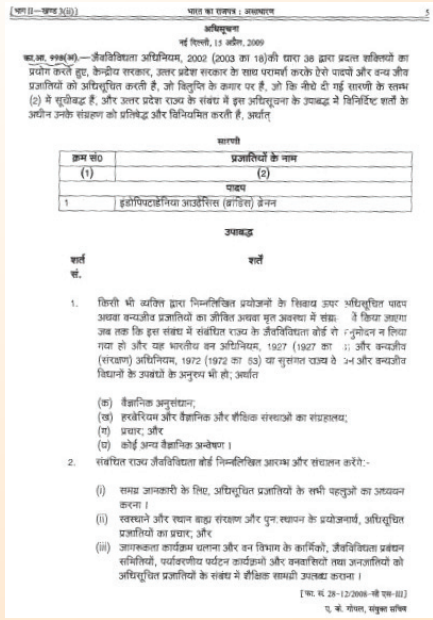

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009

का.आ. 998(अ).—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18)की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके ऐसे पादपों और वन्य जीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिषेद्ध और विनियमित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रम सं0	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1	इंडोपिपटाडेनिया आउढेंसिस (ब्रांडिस) ब्रेनन

उपाबद्ध

शर्त सं.	शर्तें

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय ऊपर अधिसूचित पादप अथवा वन्यजीव प्रजातियों का जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्रह नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से अनुमोदन न लिया गया हो और यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का [illegible]) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या सुसंगत राज्य के [illegible] और वन्यजीव विधानों के उपबंधों के अनुरूप भी हो; अर्थात

   (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
   (ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय;
   (ग) प्रचार; और
   (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

2. संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित आरम्भ और संचालन करेंगे:-

   (i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना।
   (ii) स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण और पुन:स्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
   (iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पर्यावरणीय पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश के विरासत वृक्ष (Heritage Trees of Uttar Pradesh)

सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गैर वन क्षेत्र (सामुदायिक भूमि) पर अवस्थित पौराणिक/ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़े 28 प्रजातियों–अर्रू, अर्जुन, आम, इमली, कैम, करील, कुसुम, खिरनी, शमी, गम्हार, गूलर, छितवन, चिलबिल, जामुन, नीम, पारिजात, पाकड़, पीपल, पीलू, बरगद, महुआ, महोगनी, मैसूर बरगद, शीशम, साल, सेमल, हल्दू व तुमाल के 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित कर **उत्तर प्रदेश के विरासत वृक्ष (Heritage Trees of Uttar Pradesh)** नामक कॉफी टेबल बुक के रूप में अभिलिखित किया गया।

कुँवासी बड़ाड़ाड़ ग्राम सभा (जनपद सुल्तानपुर) अवस्थित बरगद वृक्ष

दशहरी गांव (लखनऊ) में दशहरी आम का मातृ वृक्ष (मदर ट्री)

पारादान ग्राम (जनपद फतेहपुर) में अवस्थित बावन इमली

प्रयागराज किला संगम क्षेत्र (जनपद प्रयागराज) अवस्थित अक्षय वट

ग्राम ललई, पोस्ट खैरागढ़ (जनपद फिरोजाबाद) अवस्थित पीपल वृक्ष

प्रदेश में अवस्थित विरासत वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूकता व जन संवेदना उत्पन्न करने एवं विरासत वृक्ष स्थलों को पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु उच्च गुणवत्ता के छायाचित्रों का समावेश, वीडियो फिल्म तैयार करना एवं क्यू आर कोड आधारित सर्च सिस्टम विकसित कर कॉफी टेबल बुक का संशोधित व उन्नत द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना (Uttar Pradesh State Biodiversity Strategy and Action Plan-(UPSBSAP))

उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश का **State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP)** तैयार किया गया। दस वर्षीय (2021–2030) यह एक्शन प्लॉन यूनाइटेड नेशन्स डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) के वित्त पोषण तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया।

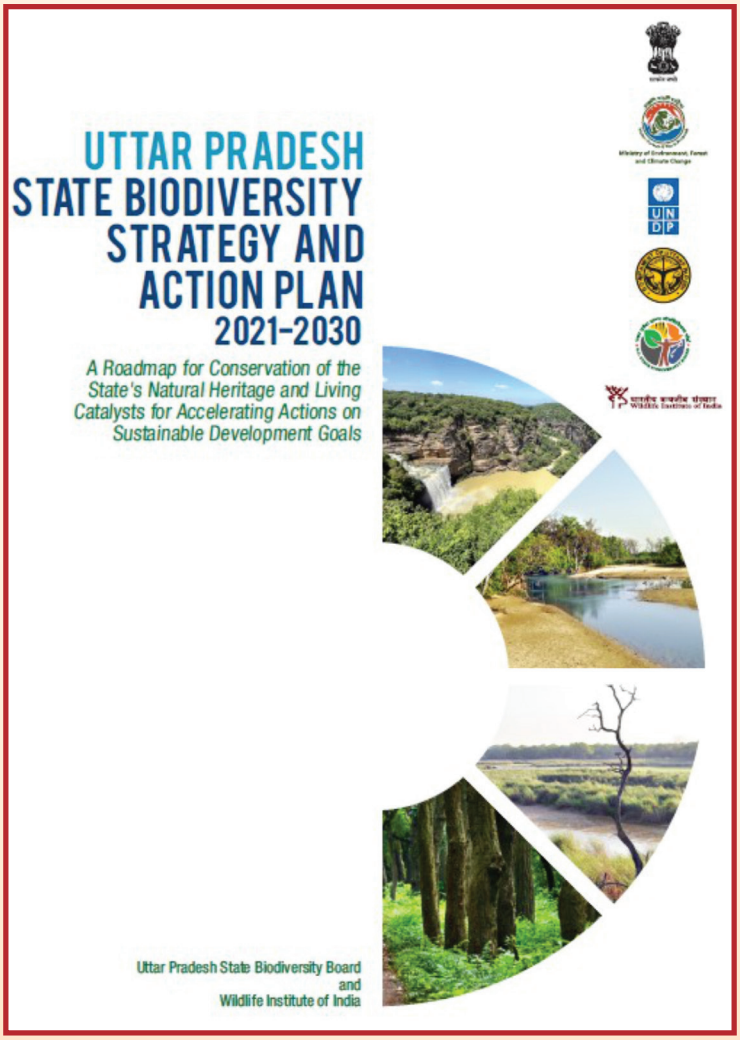

जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.)

जैव विविधता अधिनियम (यथा संशोधित, 2023) में प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) का गठन

- जैव विविधता अधिनियम की धारा 41(1) (यथा संशोधित, 2023) के अनुसार स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत आदि) में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समिति में एक अध्यक्ष सहित स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिकतम 7 सदस्यों का प्राविधान है। जैव विविधता प्रबन्ध समितियों में एक तिहाई या अधिक महिला सदस्य एवं 18 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य शामिल होंगे।
- जैव विविधता प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी बैठक में समिति के सदस्यों से किए जाने का प्राविधान है। एक से अधिक सदस्या को एक समान मत प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है।
- जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है।
- विधान सभा/विधान परिषद के स्थानीय सदस्य एवं संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष आमंत्री होंगे।
- पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3/2018/3184/33–1–2018–3070/18 दिनांक 21.12.2018 द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के दायित्व

- जन सामान्य को जैव विविधता के महत्व एवं सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों व विनियम के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक करना।
- कार्यक्षेत्र में विद्यमान जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन एवं अभिलेखीकरण।

- स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) तैयार किया जाना, रख रखाव करना एवं विधिमान्य (Validated) किया जाना।
- जन जैव विविधता पंजिका में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सकीय या अन्य उपयोग या उनसे जुड़े अन्य उपलब्ध पारम्परिक ज्ञान, संरक्षण एवं आजीविका को समृद्ध करने के सम्बन्ध में जानकारी शामिल करना।
- जन जैव विविधता पंजिका में जैव संसाधन का उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों का विवरण शामिल करना।
- जैव विविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों को चिन्हांकित करना।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अथवा राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान करने हेतु संदर्भित प्रकरणों में परामर्श देना।
- जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच, शुल्क संग्रहण का विवरण एवं प्राप्त लाभों व वितरण की विधि का विवरण की जानकारी देने हेतु रजिस्टर रखा जाना।
- वाणिज्यिक उद्देश्यों से जैविक संसाधनों तक पहुँच अथवा जैविक संसाधन एकत्र करने हेतु अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण।

जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.)

जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) एक ऐसा अभिलेख है जिससे किसी क्षेत्र की जैव विविधता के समस्त पहलुओं की जानकारी मिल जाती है। इसके निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रवासियों को अपनी अद्वितीय जैव सम्पदा की गहरी विविधता का आत्मबोध होता है तथा अपनी परम्परागत ज्ञान सम्पदा की समृद्धता व महत्ता पर गर्व होता है। इसके निर्माण से क्षेत्र की जैव सम्पदा के पोषणीय उपयोग की योजना बनाने व क्रियान्वयन में सुविधा होती है किन्तु उससे भी अधिक यह हमारे लिए अपने जैव संसाधनों व उससे सम्बन्धित बौद्धिक ज्ञान सम्पदा की रक्षा के लिए दस्तावेज का काम करता है।

जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) राष्ट्रीय जैव विवधिता प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश व प्रपत्र में तैयार किया जाए। जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के दिशा निर्देशन में एवं ग्रामवासियों के सम्मिलित सहयोग से बनाया जाना है। जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) में वर्णित पौध एवं जन्तु प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान वनस्पति व प्राणि प्रजाति आधार पर की जानी है।

जन जैव विविधता पंजिका में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सकीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी दी जानी है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के अनुसार जन जैव विविधता पंजिका में अंकित की जाने वाली सूचना

जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) में निम्न विवरण/सूचना अंकित की जानी है:

- क्षेत्र का मानचित्र (स्थल, मानचित्र, गाँव का मानचित्र)
- अध्ययन क्षेत्र का विवरण
- सामान्य विवरण
- सामाजिक आर्थिक विवरण
- अजैविक संसाधन
- भू–संसाधन
- जल संसाधन
- जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.)

भाग–1	**सामान्य विवरण**	
	सामान्य सूचना	
	संलग्नक–1	पंचायत की जैवविविधता प्रबन्धन समिति (बी.एम.सी.) का विवरण
	संलग्नक–2	*वैद्य, हकीम* तथा पारम्परिक स्वास्थ्य चिकित्सकों (मानव एवं पालतू पशुओं) की सूची, जो ग्राम की अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध जैव संसाधनों का उपयोग करते हों।
	संलग्नक–3	ग्रामीणों द्वारा कथित रूप से कृषि, मत्स्य पालन तथा वानिकी से सम्बन्धित जैवविविधताओं के सम्बन्ध में पारम्परिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की सूची
	संलग्नक–4	ऐसे स्कूल, कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय, राजकीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों का विवरण, जो जन जैवविविधता रजिस्टर बनाये जाने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहे हों।
	संलग्नक–5	जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच का विवरणः लगाये गये संग्रह शुल्क तथा प्राप्त लाभ एवं उसके प्रभाजन की विधि का विवरण
भाग–2	**जन जैव विविधता पंजिका प्रपत्र**	
		कृषि जैवविविधता
	प्रपत्र–1	फसली पौधे
	प्रपत्र–2	फलदार पौधे
	प्रपत्र–3	चारा फसल
	प्रपत्र–4	खर–पतवार
	प्रपत्र–5	फसलों के कीट
	प्रपत्र–6	पालतू पशुओं के लिए बाजार
	प्रपत्र–7	मानव दृश्य
	प्रपत्र–8	भू–दृश्य
	प्रपत्र–9	जल–दृश्य
	प्रपत्र–10	मृदा के प्रकार

		घरेलू / जैवविविधता
	प्रपत्र–11	फलदार वृक्ष
	प्रपत्र–12	औषधीय पौधे (जड़ी–बूटी, झाड़ी, पेड़ आदि)
	प्रपत्र–13	शोभाकार पौधे / वृक्ष / लता आदि
	प्रपत्र–14	प्रकाष्ठीय पौध / वृक्ष
	प्रपत्र–15	पालतू पशु
	प्रपत्र–16	मत्स्य पालन
	प्रपत्र–17	पालतू पशुओं, औषधीय पौधों व अन्य उत्पाद की बाजार / मेला
		जंगली जैवविविधता
	प्रपत्र–18	वृक्ष झाड़ियां, जड़ी–बूटियां, कन्द, घास, लता इत्यादि
	प्रपत्र–19	जंगली प्रजाति के महत्वपूर्ण पौधे
	प्रपत्र–20	जलीय जैवविविधता
	प्रपत्र–21	जंगलीय जलीय पौध प्रजातियों का महत्व
	प्रपत्र–22	औषधीय महत्व की जंगली वनस्पतियां
	प्रपत्र–23	फसलों के जंगली सम्बन्धी
	प्रपत्र–24	शोभाकार पौधे
	प्रपत्र–25	धूमक / चबाई जाने वाली वनस्पतियाँ
	प्रपत्र–26	प्रकाष्ठीय पौध
	प्रपत्र–27	तटीय एवं समुद्री वनस्पति एवं जीव–जन्तु
	प्रपत्र–28	वन्य जीव जन्तु (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट व अन्य)
		शहरी जैवविविधता
	प्रपत्र–29	वनस्पतियाँ
	प्रपत्र–30	जीव–जन्तु

जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) प्रपत्र

एनेक्सर–1

पंचायत की जैवविविधता प्रबन्धन समिति (बी.एम.सी.) का विवरण : (एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा स्थानीय निकाय द्वारा नामित सात व्यक्तियों, जिनमें कम से कम एक तिहाई महिलायें तथा कम से कम 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के हो) एवं राज्य सरकार के किसी लाईन विभाग से नामित एक सचिव।

1	अध्यक्ष का नाम	:	.....
	आयु	:	.....
	लिंग	:	.....
	पता व फोन नं.	:	.....
	विशेषज्ञता का क्षेत्र	:	.....
2	नाम	:	.....
	आयु	:	.....
	लिंग	:	महिला
	पता व फोन नं.	:	.....
	विशेषज्ञता का क्षेत्र	:	.....
3	नाम	:	.....
	आयु	:	.....
	लिंग	:	महिला
	पता व फोन नं.	:	.....
	विशेषज्ञता का क्षेत्र	:	.....
4	नाम	:	.....(अनु. जाति/जनजाति से)
	आयु	:	.....
	लिंग	:	.....
	पता व फोन नं.	:	.....
	विशेषज्ञता का क्षेत्र	:	.....

एनेक्सर–2

वैद्य, हकीम **तथा पारम्परिक स्वास्थ्य चिकित्सकों (मानव एवं पालतू पशुओं) की सूची, जो ग्राम की अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध जैव संसाधनों का उपयोग करते हों।**

1 नाम : .....
आयु : .....
लिंग : .....
पता व फोन नं. : .....
विशेषज्ञता का क्षेत्र : .....
वह स्थान, जहाँ से जैव संसाधन प्राप्त करता हो : .....
संसाधन की स्थिति सम्बन्धी चिकित्सक की धारणा : .....
औषधीय उपयोग : .....

एनेक्सर–3

ग्रामीणों द्वारा कथित रूप से कृषि, मत्स्य पालन तथा वानिकी से सम्बन्धित जैवविविधताओं के सम्बन्ध में पारम्परिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की सूची

1 नाम : .....
आयु : .....
लिंग : .....
पता व फोन नं. : .....
विशेषज्ञता का क्षेत्र : .....

एनेक्सर–4

जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच का विवरण : लगाये गये संग्रह शुल्क तथा प्राप्त लाभ एवं उसके प्रभाजन की विधि का विवरण

क्रम सं.	व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/अन्य का नाम एवं पता	पहुँच की गई जैविक संसाधन का स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम तथा उसकी मात्रा	बी.एम.सी. का संकल्प तथा ग्राम पंचायत के समर्थन की तिथि	लगाये गये संग्रह शुल्क का विवरण	प्राप्त लाभ साझा करने की प्रत्याशित विधि तथा उसकी मात्रा
1					
2					

कृषि जैव विविधता

प्रपत्र 1: फसली पौधे

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
फसल	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म	भू दृश्य / प्राकृतवास	बोये गये भाग का अनुमानित क्षेत्रफल (हे0)	स्थानीय अवस्था / स्थिति		विशिष्ट विशेषतायें	फसली मौसम	उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	बीज / पौध प्राप्ति का स्रोत	जानकार समुदाय / व्यक्ति
						पूर्व	वर्तमान							

प्रपत्र 2: फलदार पौधे

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
पौध का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म	भू दृश्य / प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		बीज / पौध प्राप्ति का स्रोत	फसल उत्पादन का मौसम	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	उपयोग	अन्य विवरण बाजार / स्वयं प्रयोग	जानकार समुदाय / व्यक्ति
					पूर्व	वर्तमान						

प्रपत्र 3: चारा फसल

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
पौध का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	भू दृश्य / प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		बीज / पौध प्राप्ति का स्रोत	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	उपयोगी भाग	अन्य विवरण	जानकार समुदाय / व्यक्ति
				पूर्व में	वर्तमान में					

प्रपत्र 4: खर–पतवार

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पौध का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	प्रभावित फसल	प्रभाव	भू–दृश्य / प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग, यदि कोई हो	प्रबन्धन के विकल्प	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण जैसे पर–स्थानिक	जानकार समुदाय / व्यक्ति
						पूर्व में	वर्तमान में					

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025
Harmony with nature and sustainable development

प्रपत्र 5: फसलों के कीट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पोषक पौध/फसल	कीट/जानवर का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	प्राकृतवास	आक्रमण का समय/मौसम	प्रबन्धन प्रणाली	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण/जानकारी	जानकार समुदाय

प्रपत्र 6: पालतू पशुओं के लिए बाजार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बाजार का नाम एवं स्थिति	साप्ताहिक (दिन)/पाक्षिक (दिन)/मासिक (दिन)/छःमाही (माह)/वार्षिक (माह) [1]	खरीद व बिकी किये जाने वाले जानवरों का प्रकार [2]	प्रतिदिन व्यवसाय किये जाने वाले जानवरों का प्रकार तथा औसत संख्या	स्थान जहां से जानवर खरीदे जाते हैं	स्थान जहां जानवर बेचे/ले जाए जाते हैं	मछली बाजार का नाम व स्थान	विक्रय की जाने वाली मछलियों का प्रकार	मछलियों का स्त्रोत

प्रपत्र 7: मानव दृश्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समुदाय तथा आबादी	परिवार तथा मुख्य व्यवसाय	सह–व्यवसाय	भू–दृश्य निर्भरता	मुख्य संसाधनों तक पहुंच एवं पहुंच का मौसम	भू दृश्य प्रबन्धन प्रथा	संसाधन प्रबन्धन प्रथा	जाति/जनजाति	सामाजिक दशा	निवासियों की प्रकृति	परिवार की संख्या

प्रपत्र 8: भू–दृश्य

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रमुख भू दृश्य			सह भू दृश्य	विशेषताएं तथा अनुमानित क्षेत्रफल	स्वामित्व	सामान्य वनस्पति	सामान्य जीव जन्तु	उपयोग कर्ता समूह	प्रबन्धन के तकरीके	सामान्य उपयोग	संबधित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय की पहुँच
कृषि भूमि	तालाब	बंजर भूमि											

प्रपत्र 9: जल–दृश्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जल दृश्य तत्वो के प्रकार	सह–प्रकार	विशेषताएं तथा अनुमानित क्षेत्रफल	स्वामित्व	सामान्य वनस्पति	सामान्य जीव जन्तु	प्रमुख उपयोग	उपयोगकर्ता समुह	प्रबन्धन के तरीके	सामान्य उपयोग	संबधित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय की पहुँच

प्रपत्र 10: मृदा के प्रकार

1	2	3	4	5	6	7	8
मृदा के प्रकार	रंग तथा संरचना	विशेषताएं	मृदा–प्रबन्धन	उपयुक्त पौधे / फसल	वनस्पति तथा जीव जन्तु	संबधित पारम्परिक ज्ञान	अन्य जानकारी

घरेलू/जैव विविधता

प्रपत्र 11: फलदार वृक्ष

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
वृक्ष का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	भू दृश्य/ प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था/ स्थिति		बीज/ पौध प्राप्त करने का स्रोत	फलने का मौसम	उपयोग	संबधित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण बाजार /स्वयं प्रयोग	जानकार व्यक्ति/ समुदाय
					पूर्व	वर्तमान						

प्रपत्र 12: औषधीय पौधे (जड़ी–बूटी, झाड़ी, पेड़ आदि)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पौधे का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	भू दृश्य/ प्राकृतवास	बीज/पौध प्राप्त करने का स्रोत	स्थानीय अवस्था/ स्थिति		उपयोग	उपयोगी भाग	संबधित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण बाजार/स्वयं प्रयोग	जानकार व्यक्ति/ समुदाय
						पूर्व	वर्तमान					

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025
Harmony with nature and sustainable development

प्रपत्र 13: शोभाकार पौधे / वृक्ष / लता आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पौधे का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	बीज / पौध प्राप्ति का स्रोत	वाणिज्यिक / गैर वाणिज्यिक	उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति / समुदाय

प्रपत्र 14: प्रकाष्ठीय पौध / वृक्ष

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
पौध का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		जंगली / गृह वाटिका	अन्य उपयोग / बहु उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति / समुदाय
				पूर्व	वर्तमान में					

प्रपत्र 15: पालतू पशु

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पशु का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	नस्ल (स्थानीय / संकर)	विशेषताएं	रखने / पालने का तरीका	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	व्यवसायिक पालन	उत्पाद तथा सेवाओं सहित अन्य विवरण	जानकार समुदाय
						पूर्व	वर्तमान में					

प्रपत्र 16: मत्स्य पालन

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
मत्स्य का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	विशेषताएं	जल क्षेत्र (तालाब / जलाशय / झील)	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	व्यवसायिक पालन	अन्य विवरण	जानकार समुदाय
						पूर्व	वर्तमान में					

प्रपत्र 17: पालतू पशुओं, औषधीय पौधो व अन्य उत्पाद की बाजार/मेला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
साप्ताहिक बाजार/ मेले का नाम	स्थान	साप्ताहिक, पाक्षिक तथा अन्य छःमाही/ वार्षिक	निर्धारित दिवस	छमाही या वार्षिक बाजार/मेले का बाजार	क्रय विकयः किये जाने वाले पशुओं का प्रकार	प्रतिदिन व्यापार किये जाने वाले पशुओं की औसत संख्या	वह स्थान जहॉ से पशु लाए जाते हैं	वह स्थान जहां पशु पहुँचाए जाते हैं

जंगली जैव विविधता

प्रपत्र 18: वृक्ष झाड़ियां, जड़ी–बूटियां, कन्द, घास, लता इत्यादि

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
वृक्ष का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	स्वभाव	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था/ स्थिति		व्यवसायिक/ स्वयं उपयोग	एकत्र किया जाने वाला भाग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार समुदाय
					पूर्व में	वर्तमान					

प्रपत्र 19: जंगली प्रजाति के महत्वपूर्ण पौधे

1	2	3	4	5	6
कम सं0	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	उपयोगिता (आर्थिक/सामाजिक/ सांस्कृतिक आदि)	स्थिति/अवस्था

प्रपत्र 20: जलीय जैवविविधता

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	विशेषताएं	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था/ स्थिति		उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति/ समुदाय
					पूर्व में	वर्तमान				

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025
Harmony with nature and sustainable development

प्रपत्र 21: जंगलीय जलीय पौध प्रजातियों का महत्व

1	2	3	4	5	6
क्रम सं0	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	उपयोगिता	रूझान

प्रपत्र 22: औषधीय महत्व की जंगली वनस्पतियाँ

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
पौधा (जड़ी–बूटी, झाडी वृक्ष)	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	भू–दृश्य / प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	उपयोग	उपयोग किये जाने वाला भाग	अन्य विवरण (बाजार / स्वयं प्रयोग)	जानकार व्यक्ति / समुदाय
					पूर्व में	वर्तमान					

प्रपत्र 23: फसलों के जंगली सम्बन्धी

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	सम्बन्धित फसल	भू–दृश्य / प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग	उपयोग किया जाने वाला भाग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति / समुदाय
				पूर्व में	वर्तमान में					

प्रपत्र 24: शोभाकार पौधे

1	2	3	4	5	6	7	8
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	प्राकृतवास	व्यवसायिक / गैर व्यवसायिक उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति / समुदाय

प्रपत्र 25: धूमक / चबाई जाने वाली वनस्पतियाँ

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
पौध (जड़ी–बूटी, झाडी, वृक्ष)	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग	उपयोग किये जाने वाला भाग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण (उपयोग का तरीका)	जानकार समुदाय
					पूर्व में	वर्तमान में					

प्रपत्र 26: प्रकाष्ठीय पौध

1	2	3	4		5	6	7	8
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		अन्य उपयोग, यदि कोई हो	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	अन्य विवरण	जानकार समुदाय / व्यक्ति
			पूर्व में	वर्तमान में				

प्रपत्र 27 A: तटीय एवं समुद्री वनस्पति

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
पौध का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		एकत्र किया जाने वाला भाग (यदि कोई हो)	व्यवसायिक उपयोग (यदि कोई हो)	अन्य उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	जानकार व्यक्ति / समुदाय
				पूर्व में	वर्तमान में					

प्रपत्र 27 B: तटीय एवं समुद्री जीव–जन्तु

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
जीव जन्तु का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्राकृतवास	स्थानीय अवस्था / स्थिति		एकत्र किया जाने वाला भाग (यदि कोई हो)	व्यवसायिक उपयोग (यदि कोई हो)	अन्य उपयोग	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	जानकार व्यक्ति / समुदाय
				पूर्व में	वर्तमान में					

प्रपत्र 28: वन्य जीव जन्तु (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट व अन्य)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
जीव–जन्तु का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्राकृतवास	विवरण	मौसम जब देखा गया	स्थानीय अवस्था / स्थिति		उपयोग (यदि कोई हो)	सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान	शिकार / एकत्र करने का तरीका (यदि कोई हो)	अन्य विवरण	जानकार व्यक्ति / समुदाय
						पूर्व में	वर्तमान में					

INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY 2025
Harmony with nature and sustainable development

शहरी जैव विविधता

प्रपत्र 29: वनस्पतियाँ

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	वनस्पति का प्रकार	प्राकृतवास	फूल आने का मौसम	टिप्पणी (दुर्लभ/सामान्य आदि)

प्रपत्र 30: जीव–जन्तु

1	2	3	4	5	6
क्रम सं.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	जीव–जन्तु का प्रकार (स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, कीट आदि)	प्राकृतवास	टिप्पणी (दुर्लभ/सामान्य आदि)

प्रपत्र 31: स्थानीय महत्व की अन्य सूचनायें

1	2	3
क्रम सं.	स्थानीय महत्व की अन्य सूचनायें/जानकारी	अभ्युक्ति

जैव विविधता शासन

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की स्थापना (बी.एम.सी.)		
ग्राम पंचायत (58755)	नगर निकाय (657)	योग
58755	**652**	**59407**
तैयार किए गए जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.)		
ग्राम पंचायत (58755)	नगर निकाय (657)	योग
58755	**652**	**59407**

जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) की गुणवत्ता, मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन

अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई ने अपने पत्र संख्या–NBA /5/30/219/ SBB/NGT दिनांक 30.03.2020 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मा. एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों

"State Government is advised to constitute a 5-7 members State-level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, comprising of subject matter experts including superannuated forest service officers which could oversee the quality of PBRs by evolving a suitable mechanism and also to support the National PBR Monitoring Committee appropriately." के अनुपालन में जन जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) की गुणवत्ता, मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति (State Level People's Biodiversity Register Quality Evaluation Monitoring Committee) गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड की बाईसवी बैठक दिनांक 12.03.2021 को किया गया।

उक्त के क्रम में सेवानिवृत्त, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ.प्र. की अध्यक्षता में State Level People's Biodiversity Register Quality Evaluation Monitoring Committee का गठन किया गया।

मिशन लाइफ

- माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी ने ग्लासगो में आयोजित सी ओ पी 26 (कॉप 26) में 01 नवम्बर, 2021 को विश्व के समक्ष मिशन लाईफ (Mission LIFE) की अवधारणा प्रस्तुत की।
- LIFE की अवधारणा के अन्तर्गत विनाशकारी एवं विवेकहीन 'उपभोग के स्थान पर विवेकपूर्ण व समझदारी से उपयोग' को जन अभियान व जनान्दोलन बनाना है।
- वास्तव में मिशन लाईफ की अवधारणा व्यवहार व जीवनशैली में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना एवं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है।
- समुदाय व व्यक्तियों को प्रकृति के साथ सामंजस्य व प्रकृति को क्षति न पहुँचाने वाली जीवनशैली अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- इस प्रकार की जीवनशैली अपनाने वालों को 'प्रो प्लेनेट पीपुल' के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना।
- हमारे देश व प्रदेश में पर्यावरण के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या के निदान हेतु व्यवहार परिवर्तन हेतु वृहद् स्तर पर कार्यक्रम संचालित करने का समृद्ध अनुभव है। इन अनुभवो में: 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान के अन्तर्गत अभियान चलाकर 75 दिवसों में देश के समुद्री तटों पर लगभग 15000 टन अपशिष्ट को हटाया।
- पर्यावरण को स्वच्छ रखने, संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने एवं मानव गरिमा व सम्मान बनाए रखने हेतु 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 7 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- वतावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा न्यून करने, महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने एवं वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु उज्जवला योजना के अन्तर्गत एल पी जी गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2015 में घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शन की उपलब्धता 62 प्रतिशत घरों तक होने के सापेक्ष वर्ष 2021 में 99.8 प्रतिशत घरों तक हो गई।
- भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में लाईफ (LIFE) अभियान के अन्तर्गत 7 श्रेणियों में 75 गतिविधियाँ चिन्हित की गई हैं। इन गतिविधियों में ऊर्जा बचत, जल बचत, एकल

उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग में कमी, संवहनीय भोजन व्यवस्था अंगीकृत करना, अपशिष्ट में कमी (स्वच्छता अभियान), स्वस्थ जीवनशैली अंगीकृत करना एवं ई अपशिष्ट की मात्रा कम करना शामिल है।

- एल.ई.डी. बल्ब/ट्यूबलाईट, यथासंभव सार्वजनिक वाहन, यथासंभव एलीवेटर के स्थान पर सीढ़ी तथा अल्प दूरी या स्थानीय प्रयोग हेतु साईकिल का प्रयोग कर प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा बचाने में अपना योगदान दे सकता है।
- लाल बत्ती और रेलवे क्रासिंग पर वाहन का इंजन बन्द कर, सही गियर पर वाहन चालन व मित्रों व सह कर्मियों के साथ कार पूलिंग कर एवं उपयाग के उपरान्त सिंचाई पम्पों को बन्द करने की जीवनशैली अपनाकर हम सब ऊर्जा बचत में अपना योगदान सरलतापूर्वक दे सकते हैं।
- वर्ष 2021 में आयोजित ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमन्त्री जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो अर्थात् शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन लाईफ के अन्तर्गत निर्धारित एक्शन प्लान को जीवन में आत्मसात कर, सौर ऊर्जा सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाकर एवं विभिन्न आयोजनों व कार्यक्रमों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति से बढ़ने हेतु प्रदेश प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में श्री अन्न, अर्थात् मोटे अनाज अर्थात् ज्वार, बाजरा, रागी, लघु धान्य अर्थात् कुटकी, कोदो, सावां, कांगनी और चीना जैसी फसलों के उत्पादन में कम जल का प्रयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील होने, श्री अन्न के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं प्रतिरक्षा व पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम के मैदान में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- मानव पाचन तन्त्र से सम्बन्धित सीलियक रोग का मुख्य कारक ग्लूटिन प्रोटीन है। मोटे अनाज में ग्लूटिन प्रोटीन न पाए जाने के कारण इस बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए मोटे अनाज सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है।
- प्लास्टिक कागज आदि के पुनर्चक्रण, गाय के गोबर से तैयार जैविक खाद का प्रयोग कर जैविक खेती, भोजन की बर्बादी रोकने, सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, कागज के दोनों ओर लिखने सहित विभिन्न अभिनव प्रयासों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम कर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रतिज्ञा

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा/लाऊँगी। मैं ये भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत् रूप से प्रेरित करूँगा/करूँगी।

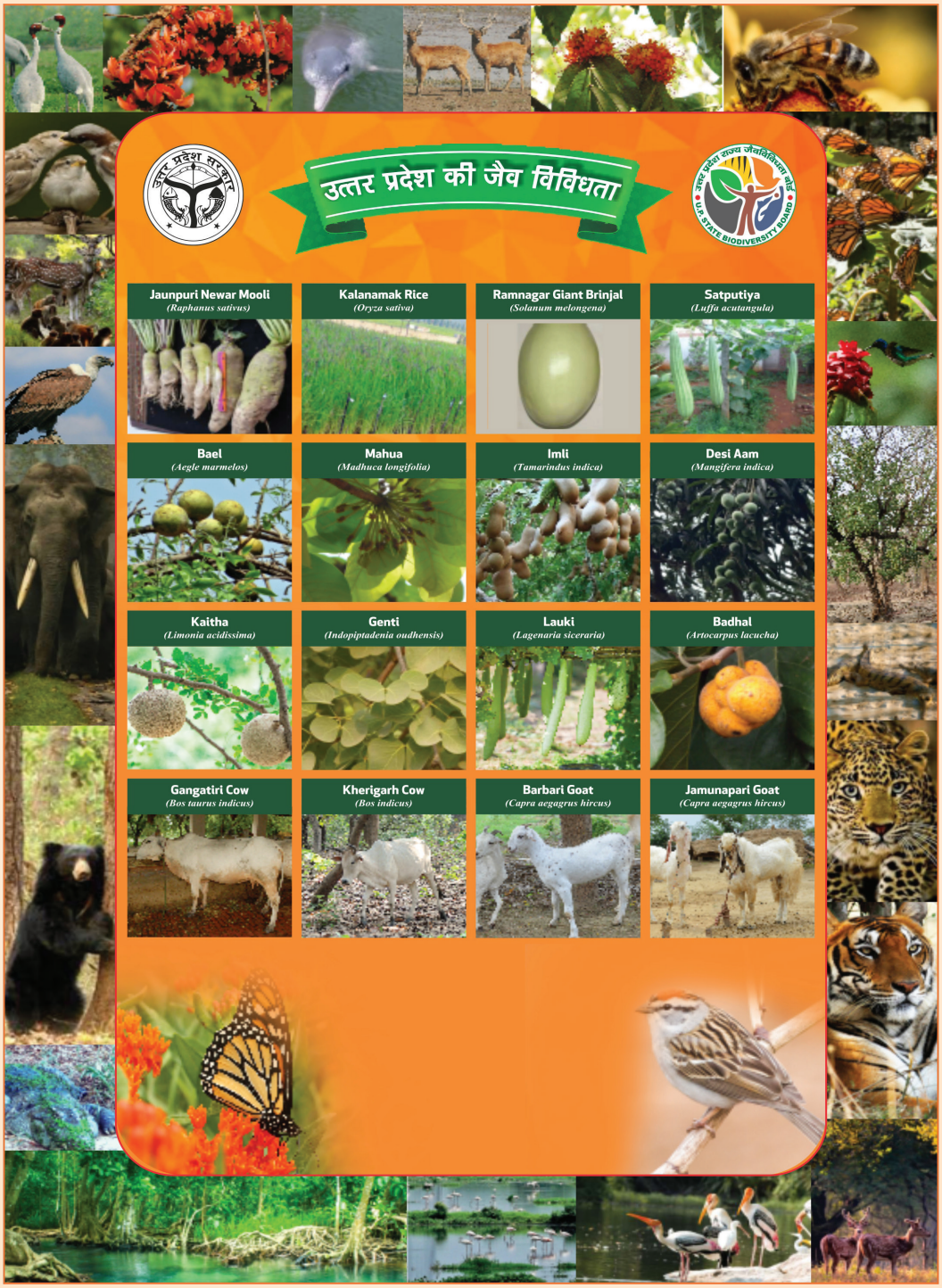
उत्तर प्रदेश की जैव विविधता
Jaunpuri Newar Mooli
(Raphanus sativus)
Kalanamak Rice
(Oryza sativa)
Ramnagar Giant Brinjal
(Solanum melongena)
Satputiya
(Luffa acutangula)
Bael
(Aegle marmelos)
Mahua
(Madhuca longifolia)
Imli
(Tamarindus indica)
Desi Aam
(Mangifera indica)
Kaitha
(Limonia acidissima)
Genti
(Indopiptadenia oudhensis)
Lauki
(Lagenaria siceraria)
Badhal
(Artocarpus lacucha)
Gangatiri Cow
(Bos taurus indicus)
Kherigarh Cow
(Bos indicus)
Barbari Goat
(Capra aegagrus hircus)
Jamunapari Goat
(Capra aegagrus hircus)

पर्यावरण कैलेण्डर / Environment Calendar

क्र.सं. Sl. No.	दिनांक Date	जैव विविधता उत्सव Biodiversity Festivals
1.	05 जनवरी/ January	राष्ट्रीय पक्षी दिवस/ National Bird Day
2.	02 फरवरी/ February	विश्व वेटलैण्ड्स दिवस/ World Wetlands Day
3.	फरवरी माह का तृतीय शनिवार/3rd Saturday of February	विश्व पेंगोलिन दिवस/ World Pangolin Day
4.	28 फरवरी/ February	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस/ National Science Day
5.	03 मार्च/ March	विश्व वन्यजीव दिवस/ World Wildlife Day
6.	12 मार्च/ March	विश्व मकड़ी दिवस / World Spider Day
7.	14 मार्च/ March	विश्व तितली दिवस / World Butterfly Day
8.	20 मार्च/ March	विश्व गौरय्या दिवस / World Sparrow Day
9.	21 मार्च/ March	अन्तर्राष्ट्रीय वन दिवस / International Day of Forests
10.	22 मार्च/ March	विश्व जल दिवस / World Water Day
11.	मार्च माह का अन्तिम शनिवार/ Last Saturday of March	अर्थ ऑवर/ Earth Hour
12.	22 अप्रैल/April	पृथ्वी दिवस / Earth Day
13.	अप्रैल माह का अन्तिम शनिवार/ Last Saturday of April	मेढ़क बचाओ दिवस / Save the Frogs Day
14.	मई मास का द्वितीय सप्ताहान्त/2nd weekend of May	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस / World Migratory Bird Day
15.	22 मई/ May	अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस/International Day of Biological Diversity
16.	23 मई/ May	विश्व कछुआ दिवस / World Turtle Day
17.	मई मास का अन्तिम बुधवार/ Last Wednesday of May	विश्व ऊदबिलाव जागरूकता दिवस/ World Otter Awareness Day
18.	05 जून/ June	विश्व पर्यावरण दिवस / World Environment Day
19.	08 जून/ June	विश्व समुद्र दिवस / World Oceans Day
20.	17 जून/ June	विश्व मरूस्थलीकरण एवं सूखे का मुकाबला करने हेतु दिवस/ World Day to Combat Desertification and Drought
21.	01-07 जुलाई/ July	वन महोत्सव / Van Mahotsava
22.	22 जुलाई/ July	राष्ट्रीय आम दिवस / National Mango Day
23.	29 जुलाई/ July	अन्तर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस/ विश्व व्याघ्र दिवस/ International Tiger Day/ Global Tiger Day
24.	04 अगस्त/ August	अन्तर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस/ International Owl Awareness Day
25.	सितम्बर माह का प्रथम शनिवार/ 1st Saturday of September	अन्तर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस/ International Vulture Awareness Day
26.	16 सितम्बर/ September	अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस / International Day for Preservation of the Ozone Layer
27.	01-07 अक्टूबर/October	वन्यजीव सप्ताह / Wildlife Week
28.	अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार/1st Monday of October	विश्व प्राकृतवास दिवस / World Habitat Day
29.	21 नवम्बर/ November	विश्व मत्स्य दिवस / World Fisheries Day
30.	02 दिसम्बर/ December	राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस/ National Pollution Control Day
31.	05 दिसम्बर/ December	विश्व मृदा दिवस/ World Soil Day

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
U.P. State Biodiversity Board
पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०) 226010 द्वारा प्रकाशित

फोन : 0522–4006746
ईमेल : upstatebiodiversityboard@gmail.com,
वेबसाइट : upsbdb.org;

© Uttar Pradesh State Biodiversity Board

Year of Publication : 2022

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

ईस्ट विंग, तीसरी मंजिल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010, उ.प्र., भारत, दूरभाष : 0522 4006746

ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com

वेबसाईट : www.upsbdb.org

army printing press
www.armyprintingpress.com
Lucknow (0522) 6565333